



2026:AHC:180801

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 30283 / 2026

बृज लाल @ विजय लाल राजभर

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता :

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश प्रताप सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री विजय बहादुर मौर्य को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 130/2026 अंतर्गत धारा 103(1), 3(5) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - सरैयाखांसी, जिला - मऊ में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और पुलिस मुखबिर द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर विवेचना के दौरान आवेदक को सह-अभियुक्त अंचल राजभर के साथ अभियुक्त बनाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पुलिस के समक्ष आवेदक और सह-अभियुक्त के बयान, पुलिस मुखबिर द्वारा दी गई जानकारी और मुखबिर द्वारा उठाए गए संदेह के अतिरिक्त, आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मामले के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद भी सह-अभियुक्त अंचल राजभर को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और उनका जमानत आदेश पेपर-बुक के पृष्ठ-101 पर संलग्न है और आवेदक का मामला उनके समान है।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 21.04.2026 से जेल/कारागार में है।
6. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया।
8. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और पुलिस मुखबिर द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से विवेचना के दौरान यह पता चला कि आवेदक को सह-अभियुक्त अंचल राजभर के साथ अभियुक्त बनाया गया है।
9. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मुखबिर द्वारा बाद के चरण में जताई गई आशंका, सह-अभियुक्त के बयान और पुलिस के समक्ष आवेदक के संस्वीकृति के अतिरिक्त, आवेदक के विरुद्ध अभिलेख पर कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है।
10. इसके अतिरिक्त, सह-अभियुक्त अंचल राजभर को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उसके समान ही है।
11. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 21.04.2026 से जेल/कारागार में है।
12. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. तदनुसार, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

14. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक - बृज लाल @ विजय लाल राजभर को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

15. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अगस्त 31, 2026

एके पाण्डेय

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।